न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–98/2008

CIS-TS 398/2018

परमा साह एवं अन्य...वादीगण

बनाम

मनेजर साह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
23.12.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.12.2025 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद मद सं0–01 में वर्णित भूमि पर वादीगण का दखल–कब्जा सम्पुष्ट कराने वो श्रीमान् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नरकटियागंज द्वारा वाद सं0–03/2008–09 में पारित आदेश को अवैध शुन्य वो अन्य अनुतोष प्राप्त करने हेतु लाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा असमाजिक तत्वों एवं लठैतों के बल पर दिनांक 12.06.2025 को बलपूर्वक विवादित भूमि जो वादीगण के दखल–कब्जे में है पर मिट्टी भराई का कार्य प्रारम्भ कर दिये है एवं विवादित भूमि पर पक्का निर्माण कराने हेतु, बालु इत्यादि गिराये है एवं कभी भी निमार्ण कार्य कर भूमि का स्वरूप बदल सकते है। प्रस्तुत वाद के सम्यक निष्पादन हेतु अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर जांच प्रतिवेदन मांगना आवश्यक है। विवादित भूमि न्यायालय से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। लेहाजा एक अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर वादग्रस्त भूमि के यथास्थिति के संबंध में एक जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आना न्यायहीत में आवश्यक है। अधिवक्ता	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–98/2008

CIS-TS 398/2018

परमा साह एवं अन्य...वादीगण

बनाम

मनेजर साह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 23.12.2025	आयुक्त की बहाली में आने वाले खर्च को वादीगण वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का आवेदन दिनांक 06.12.2025 को स्वीकार कर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा करें। जाँच बिन्दु (1) विवादित भूमि पर मिट्टी भराई का कार्य किया गया है या नहीं एवं विवादित भूमि का वर्तमान स्वरूप का विस्तृत विवरण दिया जाए। (2) विवादित भूमि पर ईंट, बालू इत्यादि सामग्री रखा है या नहीं ? प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा आदेश 26 नियम 09 वो धारा 151 व्य0प्र0सं0 का आवेदन दाखिल किया गया है एवं वाद भूमि के निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति का निवेदन किया है। स्वत्व वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है ? इस सम्बन्ध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीगण अधिवक्ता आयुक्त के खर्चे को वहन करने को तैयार	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–98/2008
CIS-TS 398/2018

परमा साह एवं अन्य...वादीगण

बनाम

मनेजर साह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 23.12.2025	है। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 06.12.2025 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री अभय शुक्ला को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर न्यायालय में समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2000/– रूपये वादीगण के द्वारा वहन किया जाएगा। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि जॉच में अधिवक्ता आयुक्त का सहयोग करें। कार्यालय रिट जारी करें। वाद दिनांक 15.01.2026 को अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	